



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1032]

नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 28, 2010/ज्येष्ठ 7, 1932

No. 1032]

NEW DELHI, FRIDAY, MAY 28, 2010/JYAISTHA 7, 1932

विधि और न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 मई, 2010

का.आ. 1243(अ).— राष्ट्रपति, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 12 के अनुसरण में, आंध्र प्रदेश राज्य की विधान सभा के निर्वाचित सदस्यों से उक्त अधिनियम के उपबंधों और उसके अधीन बनाए गए नियमों और किए गए आदेशों के अनुसार, राज्य सभा के उन छह सदस्यों के जिनकी पदावधि का अवसान 21 जून, 2010 को होना है, स्थानों को, उनकी पदावधि के अवसान पर भरने के प्रयोजन के लिए सदस्यों को निर्वाचित करने की अपेक्षा करती है।

[फा. सं. एच-11024(2)/2010-वि. II]

वी. के. भसीन, सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th May, 2010

S.O.1243(E).—In pursuance of section 12 of Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the President is pleased to call upon the elected members of the Legislative Assembly of the State of Andhra Pradesh to elect, in accordance with the provisions of the said Act and of the rules and orders made thereunder, members for the purpose of filling the seats of six members of the Council of States whose term of office is due to expire on the 21st June, 2010 on the expiration of their term of office.

[F. No. H.11024(2)/2010-Leg. II]

V. K. BHASIN, Secy.